न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 14/2019

दिनांक–28.08.2019

भागूराम पुत्र श्री मांगूराम जाति नायक निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री दीपेन्द्र सिह जाखड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा घोषणार्थ व दुरूस्त करवाने रिकार्ड में नाम
:: निर्णय ::

दिनांक 05.11.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सोटवारा पटवार हल्का सोटवारा की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 113 पुराना 98 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 148/2.18 हैक्टर स्थित है, उपरोक्त भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज व आबाद है और हिस्से अनुसार ही अपनी भूमि को काश्त करते है। हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है उपरोक्त वाद केवल भागीरथ पुत्र मांगू की जगह सही नाम भागूराम पुत्र मांगूराम दुरूस्त करवाने के अलावा अन्य कोई सिद्धि नहीं चाही गई हिस्से बाबत उपरोक्त वाद में वादी द्वारा कोई सिद्धी नही चाही गयी है। वादी के पिता मांगूराम का देहान्त करीबन 35–40 वर्ष पहले हुआ था, तब उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज हुआ तब वादी बाल्य अवस्था में था, जिसको घर पर भागू व भागीरथ दोनो नामों से पुकारा जाता था इसलिये उपरोक्त वर्णित भूमि का विरासतन नामान्तरकरण दर्ज किये जाते समय पटवारी ने गलती से वादी के घर के नाम भागीरथ पिता मांगू के नाम से दर्ज कर दिया था जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम भागुराम पुत्र मांगूराम है जो वादी के सभी दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में भागूराम पुत्र मांगूराम नाम दर्ज है जो सही है। राजस्व रिकार्ड में भागीरथ पुत्र मांगू दर्ज है जो गलत दर्ज है, जो परिवार वालों की गलती व भूलवंश दर्ज हो गया था जिसका प्रार्थी को कोई ज्ञान नही था। इसलिए राजस्व रिकार्ड में भी भागीरथ पुत्र मांगू के स्थान भागुराम पुत्र मांगूराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है ओर इसी नाम की प्रविष्टि की जाकर शुद्धि की जावे। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम दर्ज होने से कई प्रकार की असुविधा हो रही है तथा राजंस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम अन्य रिकार्ड से मेल नही खाता है जबकि उक्त गलती सहवन व भूलवंश हुई है प्रार्थी के तमाम

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

दस्तावेजों से सही नाम भागूराम पुत्र मांगूराम प्रमाणित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत घोषणार्थ का पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद के लिए वादाधिकारी वादी द्वारा किसान कार्ड बनवाने केलिए दिनांक 24.07.2019 को राजस्व किरझर्ड की नकल ली व गलत रिकार्ड का पता लगने के रोज पैदा हुआ, व इस प्रकार के वाद के लिए खातेदार को हमेशा वादकारण करता है और अदालत बाला को हक समायत हासिल है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर होने तथा राजस्व रिकार्ड को मैन्टेन करने का कार्य प्रतिवादी को होने से आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया है। विवादित भूमि व पक्षकारान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में होने के कारण श्रीमान को उक्त वाद सुनने का पूरा पुरा क्षैत्राधिकार है। दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती का होने से निश्चित कोर्ट फीस रूप्ये 4/– स्टाम्प पर पेश है। दावा अन्दर मियाद पेश है। व दावा डूप्लिकेट प्रती में पेश है

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वदी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस कदर फरमाई जो कि ग्राम सोटवारा पटवार हल्का की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 113 पुराना 98 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 2.18 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में भागीरथ पुत्र मांगू की जगह वादी का वास्तविक नाव सही नाम भागूराम पुत्र मांगूराम होना घोषित किया जावे, इसी अनुसार रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे, आवश्यक दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को लिखा जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाहे जाने से रह गई हो तो और वादी के हक में पड़ती हो दिलाई जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि सभी में भागूराम पुत्र मांगूराम दर्ज हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व भूमि नई खाता संख्या 113 पुराना 98 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 2.18 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में भागीरथ पुत्र मांगू के स्थान पर भागूराम पुत्र मांगूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/11/19

(पुरसीलाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ विधिवत विभाजन

मुकदमा सं0:– 14/2019 (भागूराम पुत्र श्री मांगूराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर॰ ए॰ एस॰),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **05.11.2019** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सोटवार स्थित भूमि नई खाता संख्या 113 पुराना 98 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 2.18 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में भागीरथ पुत्र मांगू के स्थान पर भागूराम पुत्र मांगूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–...........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **05** माह **11** सन **2019** को जारी की गई।

5/11/19
उपखण्ड अधिकारी
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	05.00		0.00

अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.29 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: